2. अब श्री छतु सिंह की दिनांक 6 अगस्त, 1986 की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री छतु सिंह की विधवा श्रीमती भंवर बाई के नाम रबी, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 23 जून, 1988

क्रमांक 716-ज-(2)-88/20501.—श्री सम्पत राम, पुत्र श्री रूप राम, निवासी गांव बजाड़, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2851-आर-(3)-69/19634, दिनांक 7 अगस्त, 1969 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री सम्पत राम की दिनांक 8 अक्तूबर, 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सम्पत राम की विधवा श्रीमती सोना देवी के नाम खरीफ, 1987, से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 782-ज (2)-88/20507.—श्री सरदार सिंह, पुत्र श्री चिरन्जी लाल, निवासी गांव जैनाबाद, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12-आर-(4)-67/911, दिनांक 1 अप्रैल, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री सरदार सिंह की दिनांक 23 नवम्बर, 1984 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सरदार सिंह की विधवा श्रीमती किस्तूरी देवी के नाम खरीफ, 1985, से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

ईश्वर चन्द गुप्ता,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व (लेखा तथा जागीर) विभाग।

ELECTION DEPARTMENT

No. Elec-88/3AA-4091.—The Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Subhash Chandera, H.C.S., City Magistrate, Narnaul as District Electoral Officer, Mahendragarh at Narnaul in addition to his own duties with effect from 25th May, 1988 (forenoon).

L. C. GUPTA,

Secretary to Government, Haryana,
Election Department.